

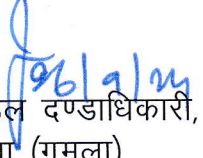
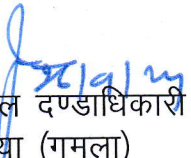
न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

आदेश

वाद सं० 33/2018
धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — मधु साहु
बनाम

द्वितीय पक्ष — नरेन्दर साहु वगै०

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :- थाना कामडारा के अप्राथमिकी संख्या 05/2018 दिनांक 10.06.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष— मधु साहु उम्र 55 वर्ष पिता— स्व० फगुवा साहु ग्राम— टुरुण्डू थाना— कामडारा जिला— गुमला द्वितीय पक्ष — (1) नरेन्दर साहु उम्र 59 वर्ष पिता— स्व० अर्जुन साहु (2) सुनिल साहु उम्र 22 वर्ष पिता— स्व० देवलाल साहु (3) रंथु साहु उम्र 59 वर्ष पिता— स्व० भि साहु (4) पुनी साहु उम्र 54 वर्ष पिता— स्व० भिम साहु सभी ग्राम— टुरुण्डू थाना— कामडारा जिला— गुमला के बीच भूमि को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>26/09/2024</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	